27/2020 — बाबूलाल v/s मुन्नालाल

17.3.21 बाबूलाल फरीकेन उपस्थ सा. बाकी हेतु समय चाहा। सा. बाकी हेतु दि० 8.4.21 को पेश हो।

8.4.21 बाबूलाल फरीकेन उपस्थ बारंबार नोट कम कार्य व्यस्त है। सा. बाकी हेतु पत्रावली दि० 19.4.21 को पेश हो।

19.4.21 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दि०..... को पेश हो।
21.6.21

21.6.21 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब स्थानांतरण हो गये। पत्रावली दि०..... को पेश हो।
31.8.21

31/8/21 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दि० 23/11/21 को पेश हो।

23/11/21 पत्रावली पुकारे जाने पर न तो अधिवक्ता वादी हेतु उपस्थ हुए न ही वादी व्यक्तिशः उपस्थ हुआ। निरंतर विगत की यह अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया वादी के हित में नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वाद खारिज
23.11.21